कार्यालय निदेशक,माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,बीकानेर

आदेश

दिनांक 11.07.2016 को अधोहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान शिविरा पत्रिका (मासिक) के मुद्रण लागत में वृद्धि होने तथा वित्तीय वर्ष 2016–17 व 2017–18 हेतु जारी नवीन कार्य आदेश के कारण पूर्व में विभागीय मासिक शिविरा पत्रिका के अंशदान की दरों को माह जुलाई 2016 के अंक से निम्नानुसार संशोधित करने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क.स.	विवरण	संशोधित दरें (वार्षिक आधार प्रति कार्यालय / संस्था / व्यक्ति)
01.	समस्त राजकीय विद्यालय	150 /– रू (वार्षिक अंशदान)
02.	समस्त गैर सरकारी मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय(राज.बोर्ड / सी.बी.एस.सी) / संस्थाऐं	200 /– रू (वार्षिक अंशदान)
03.	समस्त अध्यापक एवं शिक्षा विभाग के मन्त्रालयिक कर्मचारी	75 /– रू (वार्षिक अंशदान)

उक्त दरें माह जुलाई 2016 से प्रभावी होगी तथा अंशदान वार्षिक आधार पर **निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर** के नाम नगद / डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैंकर चैक / ई.एम.ओ. / पोस्टल ऑर्डर से ही मान्य होगा।

(बी. एल. स्वर्णकार)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–माध्य / प्रकाशन / निविदा / 5677 / 2015 / 367 दिनांक : 28/7/2016

प्रतिलिपि– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. उपनिदेशक (प्रशासन), कार्यालय हाजा।
3. सहायक लेखाधिकारी, रोकड़ अनुभाग, कार्यालय हाजा
4. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक(प्रथम / द्वितीय) को निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीनस्थ विद्यालयों की संख्यानुसार समेकित वार्षिक अंशदान अविलम्ब भिजवाएँ।
6. समस्त शाला प्रधान, (माध्यमिक शिक्षा) को निर्देशित किया जाता है कि पत्रिका हेतु वार्षिक शुल्क / रजिस्ट्रेशन अविलम्ब विद्यार्थीकोष से जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक(प्रथम / द्वितीय) कार्यालय में जमा करावें।
7. रक्षित पत्रावली।

28/7/16
वरिष्ठ सम्पादक(शिविरा)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

E:/SHIVIRA 2014/2016/OFFICE LETTERS/LETTERS